

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

मन्दलाल पुत्र मिश्री लाल ब्राह्मण

हरिराम पुत्र पुनीलाल ब्राह्मण

निवासी लाठीबा

निवासी लाठीबा

किस्म मुकदमा:- राजस्व विविध प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. 1955 मु० न० ६२१/२०२०

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल. जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीन में जारी हुआ।
२१/५/२०	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जावे तथा तहसीलदार सोजत से रास्ते हेतु तीन बिन्दु रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक ०९/५/२० को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
६/५/२०	<p>वकुलाय उपस्थित।</p> <p>आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक ०९/५/२० को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>	
०२/५/२०	<p>अधिवक्ता उप०।</p> <p>अधिवक्ता ३१५ प्रस्तावना पर पेश करने के अहकाम मुपक्षित २७/४/२० उप० पत्र को नोटिसेज किया है। लिखा जाये कि प्रार्थीगण उप० पत्रावली पर नोटिसेज अतिरिक्त पत्रावली पेश की जायेगी।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी</p>	<p>पुनः प्रार्थना पत्र करने के अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है।</p> <p>Not process by me</p> <p>S.C. Anu.</p> <p>(गोविन्द प्रसाद फ.३.)</p>